

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1—योजना का नाम :-	षादी अनुदान योजना
2—सम्बन्धित विभाग का नाम :-	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
3—कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम :-	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
4—कार्यालय का पता :-	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 309 तृतीय तल विकास भवन मुजफ्फरनगर
5—कार्यालय का दूरभाग:-	
6—योजना के आरम्भ होने की तिथि :-	वर्ष 2006—2007
7—योजना की समाप्ति की तिथि:-	संचालित है।
8—योजना का प्रकार	राज्य
9—योजना का सक्षिप्त विवरण:-	इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय सामान्य वर्ग के पुत्रियों की षादी हेतु रू0 10,000/-का अनुदान प्रदान किया जाता है।
10—योजना के लिये अर्हता:-	इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावक जिनकी समस्त स्रोतो से वार्षिक नगरीय क्षेत्रों में रू0 25546/-एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 19884/- से अधिक न हो पुत्री की षादी हेतु अनुदान के लिये आवेदन किये जाने के पात्र है।
11—योजना किस वर्ग विशेष के लिये है:-	अल्पसंख्यक समुदाय सामान्य वर्ग
12—योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया	आवेदन कर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर आवेदन पत्र सीधे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सम्बन्धित विकास खण्ड में जमा किया जा सकता है
13—आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
14—आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क:-	निःशुल्क
15—आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण:-	आय प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/षादी का कार्ड/पासबुक की छायाप्रति/पुत्री एवं वर दोनो की आयु का प्रमाण पत्र/पहचान पत्र
16—यदि आवेदन ऑन लाईन है तो वेबसाईट का ऐड्रेस	ऑफलाईन है
17—योजना के सम्बन्ध में जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम :-	कनिष्ठ सहायक 9319708963
18—योजना के सम्बन्ध जानकारी/धिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नं0 ई-मैल:-	9450200150
19—विभाग की वेबसाईट का ऐड्रेस:-	minority welfare.up.nic.in

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
मुजफ्फरनगर